



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नांगल

दिनांक 10.11.2024

थाना नांगल पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 123/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को वादी ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि दिनांक 09.11.2024 की रात्रि समय करीब 22.15 बजे अभियुक्त नसरुद्दीन पुत्र अख्तर निवासी ग्राम लालपुर सोजीमल थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन को कीर्तन से आते हुए नशीला पदार्थ सुंघाकर खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 123/64 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 165/24 धारा 123/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नसरुद्दीन पुत्र अख्तर निवासी ग्राम लालपुर सोजीमल थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नसरुद्दीन पुत्र अख्तर निवासी ग्राम लालपुर सोजीमल थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 93 राकेश थाना नांगल जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नूरपुर

दिनांक 10.11.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 323/24 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अरशद पुत्र ताहिर हुसैन निवासी मौ0 रोनक वाटिका कस्बा व थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा, वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 323/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अरशद पुत्र ताहिर हुसैन निवासी मौ0 रौनक वाटिका कस्बा व थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अरशद पुत्र ताहिर हुसैन निवासी मौ0 रौनक वाटिका कस्बा व थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 1346 विजयपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 10.11.2024

थाना नगीना पुलिस ने अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए 03 अभियुक्तगण को 16 मोबाईल फोन, ₹ 1,27,700 /- की नगदी, नमूना मोहर आदि सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.11.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.सलीम उर्फ लंगडा पुत्र कसीम अहमद निवासी मौ० काजी सराय द्वितीय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.मौहम्मद शाहनवाज पुत्र अनीस अहमद निवासी मौ० पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर व अभियुक्ता 3.कमरजहाँ उर्फ कमरो पत्नी कसीम निवासी मौ० कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को सट्टे की खाईबाडी करते हुए गिरफ्तार किया गया ।



अभियुक्तगण के कब्जे से 16 मोबाईल फोन, 1,27,700 /- रुपये की नगदी, 02 नमूना मोहर, डायरी, पेन आदि बरामद हुआ । अभियुक्तगण का एक अन्य साथी आवेश पुत्र अनीश अहमद निवासी मौ० पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर मौका पाकर फरार हो गया । इस सम्बंध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 321/24 धारा 112(1) बीएनएस व 3/4 जुआ अधिनियम बनाम सलीम आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सलीम उर्फ लंगडा पुत्र कसीम अहमद निवासी मौ० काजी सराय द्वितीय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर
- 2.मौहम्मद शाहनवाज पुत्र अनीस अहमद निवासी मौ० पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना बिजनौर
- 3.कमरजहाँ उर्फ कमरो पत्नी कसीम निवासी मौ० कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी –

16 मोबाईल फोन, 1,27,700 /- रुपये की नगदी, 02 नमूना मोहर, डायरी, पेन आदि

अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास –

मु०अ०सं० 364/17 धारा 332/353/420 भादवि व 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 319/23 धारा 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 371/23 धारा 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्त शहनवाज का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 289/24 धारा 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्ता कमरजहाँ का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 113/21 धारा 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 171/21 धारा 354(ख)/323/504/506 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 319/23 धारा 13जी एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 50/24 धारा ¾ जुआ अधिनियम एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. म0उ0नि0 बिन्देश देवी थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. हे0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
6. कां0 1580 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
7. कां0 1056 अंकित सौलानिया थाना नगीना जनपद बिजनौर
8. कां0 1101 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
9. कां0 2553 विशाल थाना नगीना जनपद बिजनौर
10. म0कां0 1005 रीता देवी थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 10.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 549/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस से सम्बंधित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.11.2024 को वादी मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 अय्यूब निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी ने वसीम पुत्र युसुफ निवासी मौ0 पठानपुरा से एक प्लॉट 12,43,200 /- रुपये में लिया था, जिसके विभिन्न माध्यमों से वादी 12,70,000 /- रुपये दे चुका है। वादी द्वारा बैनामा कराने के लिये कहने पर वसीम उपरोक्त वादी को टालता रहा।



दिनांक 09.11.2024 को वसीम ने वादी को अपने घर पर बुलाया। जब वादी ने बैनामा कराने के लिये कहा तो वसीम अकरम, अजीम, युसुफ व कासिफ ने एक राय होकर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए वादी के साथ मारपीट की गयी तथा अवैध असलहों से फायरिंग कर दी, जिससे वादी ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। मारपीट के दौरान वादी की बहन शहनाज भी घायल हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 549/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस बनाम वसीम आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस ने उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.अजीम पुत्र यूसुफ 2.यूसुफ पुत्र मुन्ना निवासीगण मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त वसीम को जिला अस्पताल से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त अजीम की निशादेही पर निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल स्थित मलबे से घटना में प्रयुक्त कंट्री मेड पिस्टल, जिसकी मैग्जीन में 05 कारतूस व अलग से 10 कारतूसों को बरामद किया गया तथा अभियुक्त यूसुफ की निशादेही पर मकान की पहली मंजिल स्थित अलमारी से दो नाली बंदूक व 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। दो नाली बंदूक का लाईसेंसी धारक अभियुक्त मौ0 यूसुफ है। साथ ही घटनास्थल से 05 खोखा कारतूस भी बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। कासिफ उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अजीम पुत्र यूसुफ निवासी मौ० पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. वसीम पुत्र यूसुफ निवासी मौ० पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. यूसुफ पुत्र मुन्ना निवासी मौ० पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध देशी पिस्टल .32 बोर मय 15 जिन्दा कारतूस .32 बोर

एक लाईसेंसी डबल बैरल बन्दूक 12 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

अभियुक्त अजीम का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 549/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 436/16 धारा 147/148/149/307/323/325/427/504 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 26/21 धारा 307/323/504 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 27/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

अभियुक्त युसुफ का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 549/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 436/16 धारा 147/148/149/307/323/325/427/504 भादवि थाना नजीबाबाद

अभियुक्त वसीम का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 549/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. उ०नि० श्री सुभाष राणा थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. उ०नि० श्री रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. हे०कां० 71 अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. कां० 62 अंकित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. कां० 362 अंकुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. म०हे०कां० 568 निर्वशी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. म०कां० 171 बीरवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना रेहड

दिनांक 10.11.2024

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 68/24 धारा 498ए/323/506/376 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2024 को वादिनी संजीता देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम भटपुरा थाना रेहड जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.मनोज कुमार 2.शिवम कुमार पुत्र जगदीश 3.सरोज देवी 4.सूरजमुखी पुत्री जगदीश निवासीगण ग्राम सरकडा करीम थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद 5.प्रीतम 6. राहुल के विरुद्ध थाना रेहड पर मु0अ0सं0 68/24 धारा 498ए/323/506/376 भादवि व 3/4 देहज अधि0 पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/24 धारा 498ए/323/506/376 भादवि व 3/4 देहज अधि0 में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी ग्राम महमदपुरलाल थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.राहुल पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर लाल थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि(प्रशिक्षु) फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 1748 जिले सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 275 अम्बुल थाना रेहड जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नहतौर

दिनांक 10.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 377 / 24 धारा 74 / 115(2) / 351(2) बीएनएस व 7 / 8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शान पुत्र सलीम निवासी मौ0 नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकते की तथा विरोध करने पर अभियुक्त शान ने अपने साथी जैनुल व बिलाल के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 377 / 24 धारा 74 / 115(2) / 351(2) बीएनएस व 7 / 8 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 377 / 24 धारा 74 / 115(2) / 351(2) बीएनएस व 7 / 8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त शान पुत्र सलीम निवासी मौ0 नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शान पुत्र सलीम निवासी मौ0 नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 251 अशोक कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 312 किशन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नहतौर

दिनांक 10.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 378/24 धारा 74/79/296 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शीशपाल पुत्र बहादुर नाथ निवासी आसफाबाद नारंगपुर थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ ने वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड करते हुए अश्लील हरकते की, जिसे आसपास के लोगो की मदद से उन्होने पकड लिया। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 378/24 धारा 74/79/296 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया व अभियुक्त शीशपाल उपरोक्त को नियमानुसार हिरासत में लिया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 378/24 धारा 74/79/296 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त शीशपाल पुत्र बहादुर नाथ निवासी आसफाबाद नारंगपुर थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. शीशपाल पुत्र बहादुर नाथ निवासी आसफाबाद नारंगपुर थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. हे0का0 213 रामवीर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1862 विकास कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद

दिनांक 10.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 480/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 26.09.2024 को वादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम परमावाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 17.09.2024 को वादी ग्राम जगनवाला से अपने गांव परमावाला साइकिल से आ रहा था तभी मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात लडको द्वारा वादी को रोककर वादी से मोबाइल छीनकर भाग गये । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 480/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 480/24 धारा 304(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त 1.तुषार पुत्र रामरतन नि0 ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जिला बिजनौर 2. ललित पुत्र दिनेश निवासी कादीपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा इनके साथी अभियुक्त अनुज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम रजपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. तुषार पुत्र रामरतन निवासी ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. ललित पुत्र दिनेश निवासी कादीपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तुषार उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 199/24 धारा 119(1)/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0-480/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ललित उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0-480/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. का0 1223 रजत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर